

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक- वि.प्रा.(III)ब³ -14/2016-

103/11 /पटना, दिनांक 16-3-2018

प्रेषक

अतुल सिन्हा,

निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,

राजकीय पोलिटेकनिक, नवादा/अररिया/सीवान

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष- 2203 -तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष -00, लघुशीर्ष-105-बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0106- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड 43-2203001050106) के अधीन आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-720, दिनांक 15.03.2018 के द्वारा नवादा, अररिया एवं सीवान जिला में नवस्वीकृत राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में वर्ष 2018-19 से सत्रारंभ करने हेतु संस्थानों में आवश्यक पुस्तक के क्रय हेतु प्रतिसंस्थान रु. 6,00,000=00 (छः लाख रुपये) मात्र अर्थात् कुल रु. 18,00,000=00 (अठारह लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त राशि संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन 1301 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से रु. 18,00,000=00 (अठारह लाख रुपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है-

क्रम	विषयशीर्ष	रा. पो. नवादा	रा. पो. अररिया	रा. पो. सीवान	आवंटित कुल राशि (रुपये में)
1.	1301 कार्यालय व्यय	600000=00	600000=00	600000=00	1800000=00
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)

(क) छः लाख रुपये मात्र।

(ख) छः लाख रुपये मात्र।

(ग) छः लाख रुपये मात्र।

(घ) अठारह लाख रुपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 2561/वि.(2), दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक-428, दिनांक 31.03.2017 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव, उक्त परिपत्र तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।


3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


(अतुल सिन्हा)


निदेशक

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब³ -14/2016-

103(m) पटना, दिनांक 16-3-2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.03.18
निदेशक

ज्ञापांक - वि.प्रा.(III)ब³ -14/2016-

103(m) पटना, दिनांक 16-3-2018

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, नवादा/अररिया/सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.03.18
निदेशक

ज्ञापांक- वि.प्रा.(III)ब³ -14/2016-

103(m) पटना, दिनांक 16-3-2018

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ योजना सहायक/ आई.टी. मैनेजर (ई-मेल/विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)/ एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.03.18
निदेशक